

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

<u>मिसल संख्या:</u>	<u>तारीख दायरा</u>	<u>तारीख निर्णय</u>
149/अपील/2017	18.04.2017	04.05.2018

महावीर आ0 हजार जाति मीणा निवासी ग्राम गावड़ी तहसील नैनवां
जिला बून्दी (राजस्थान)

- अपीलांट

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार देई जिला बून्दी (राज0)

- रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 02.03.2017

नायब तहसीलदार, देई

अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से - श्री विशाल सनादय, अभिभाषक।

रेस्पोडेन्ट की ओर से - परोकार सरकार


-: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, देई द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 02 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम कोलाहेड़ा तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 100/- रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।


अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर वर्तमान में या इससे पूर्व कभी अतिक्रमण नहीं रहा है।



मौका पर्चा के अनुसार तथा आस-पास के लोगो ने भी मौके पर कब्जा नहीं होने की पुष्टि की है। अपीलान्त का विवादित जमीन पर कोई अतिक्रमण एवं कब्जा नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सजा के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र पेश किया था कि अपीलान्त का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। कब्जा छोड़ दिया है। अपीलान्त के अभिभाषक ने कब्जा छोड़ने का शपथ पत्र भी श्रीमान् को प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्त को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्त को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपीलान्त के शपथ पत्र के आधार पर अपीलान्त को कब्जा छोड़ने का कोई आधार पेश नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्त ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कब्जा छोड़ने बाबत् पटवारी रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्त ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्त को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने की रिपोर्ट संलग्न नहीं है, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्त को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्त को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्त के इस कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्त को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय में अंकित है। जिससे अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्त विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्त को विचारण अधीनस्थ



न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा तथा तहसीलदार उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावे। यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)